

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2023 को बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड और उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। यह 94,163 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बारहवां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य को 38 जिलों में विभाजित किया गया है।

जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा (12.68 करोड़) राज्य है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य की साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य में गरीबी का स्तर अधिक है। (परिशिष्ट 1.1)

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को भी समझना महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

वर्तमान मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर राज्य की जी0एस0डी0पी0 और भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दी गयी हैं।

तालिका 1.1: जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति (वर्तमान मूल्यों पर)
(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
जी0डी0पी0 (2011–12 सीरीज)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0)	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
विगत वर्ष की तुलना में जी0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)1.36	18.36	16.06
विगत वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	(-)1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
बिहार					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 सीरीज)	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी0एस0वी0ए0)	5,10,351	5,59,805	5,51,776	6,42,330	7,40,440
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.64	10.20	(-)2.51	14.64	15.55
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.33	9.69	(-)1.43	16.41	15.27
जी0डी0पी0 से जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशत	2.79	2.89	2.86	2.77	2.76
प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 (₹ में)	44,451	48,263	46,367	52,379	59,637

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)


जी0वी0ए0— सकल मूल्य वर्धित, जी0एस0वी0ए0— सकल राज्य मूल्य वर्धित

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में, प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर 13.86 प्रतिशत थी, जो प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 के वृद्धि दर 14.86 प्रतिशत से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0) का उपयोग भारत सरकार द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जी0वी0ए0 को जी0डी0पी0 की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सभिसडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि जी0डी0पी0 निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूँजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों का योग हो सकता है और यह अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्शाता है। दोनों में शुद्ध करों के वर्णन में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 की प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में बताई गई है।

चार्ट 1.1: जी0एस0डी0पी0 बनाम जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर (2018–19 से 2022–23)



स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार


वर्ष 2020–21 के दौरान जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 दोनों की वृद्धि दर नकारात्मक रही। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर के कारण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष 2021–22 में जी0एस0वी0ए0 में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2022–23 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर ने पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की, लेकिन जी0एस0वी0ए0 वृद्धि दर द्वितीयक क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण विगत वर्ष के 16.41 प्रतिशत से घटकर 15.27 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 क्षेत्रवार संरचना

आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न जी0एस0डी0पी0 को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जो मोटे तौर पर क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवाओं के अनुरूप होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियाँ जैसे वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना और खनन के साथ–साथ मुख्य रूप से कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में

विनिर्माण, निर्माण और बुनियादी ढाँचा, बिजली, गैस की आपूर्ति आदि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सभी सेवा—संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं। 2022–23 के दौरान जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान क्रमशः चार्ट 1.2 और 1.3 में दिखाया गया है।




(स्रोत: बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एवं पॉलिसी, बिहार सरकार)

* उत्पाद पर शुद्ध कर = उत्पाद पर कर एवं उत्पाद पर संबिंदी का अन्तर

राज्य के जी0एस0डी0पी0 में देश के जी0डी0पी0 की तुलना में सेवा क्षेत्र (8.61 प्रतिशत अधिक) और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों (5.6 प्रतिशत अधिक) का योगदान का उच्च प्रतिशत था। जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात् उद्योग और विनिर्माण का योगदान 6.49 प्रतिशत कम था।

जी0एस0डी0पी0 के क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2018–19 से 2022–23 के दौरान जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन को चार्ट 1.4 में दिखाया गया है।


चार्ट 1.4: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2018–19 और 2022–23)



(स्रोत: एम0आ००एस0पी०आई०, भारत सरकार)

वर्ष 2018–19 की तुलना में 2022–23 में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में जी०एस०डी०पी० की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी में कमी आई है। वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए जी०एस०डी०पी० में क्षेत्रवार वृद्धि दर की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 दर्शाता है।

चार्ट 1.5: जी०एस०डी०पी० में क्षेत्रवार वृद्धि का प्रवृत्ति विश्लेषण



(स्रोत: एमोओएसोपी०आई०, भारत सरकार)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान, प्राथमिक क्षेत्र की क्षेत्रीय वृद्धि दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में 2021–22 की तुलना में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई।

वैशिक महामारी के कारण 2020–21 में सभी क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 दर्शाता है। हालाँकि, 2021–22 के दौरान, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने काफी सुधार दिखा है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट आई है। इसके अलावा वर्ष 2022–23 के दौरान कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में 14.34 प्रतिशत और फसलों के उत्पादन में 14.87 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक क्षेत्र में 14.41 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह तृतीयक क्षेत्र के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (निमोलोपो) का राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो इन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस०एफ०ए०आर०) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालानों, प्रांरभिक एवं सहायक लेखों, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालय तथा विभागों, जो इस तरह के लेखों के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं, तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ राज्य का बजट: अनुमानों के साथ—साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- ◆ कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- ◆ विभागों/प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़े (लेखा के साथ—साथ एम0आई0एस0);
- ◆ जी0एस0डी0पी0 आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- ◆ भारत के नि0म0ले0प0 के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें एवं पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग, छठे राज्य वित्त आयोग, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम, 2006, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की अनुशंसा के आलोक में भी यह विश्लेषण किया गया है।

30 जनवरी 2024 को आयोजित 'बहिंगमन सम्मेलन' के दौरान वित्त विभाग, बिहार सरकार के साथ लेखापरीक्षा विश्लेषण/निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग से प्राप्त जवाबों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.3 सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं।

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित किया गया है, इसे राज्यपाल के पास में वैसे आकस्मिक व्ययों, जिनका राज्य मंडल विधायिका से प्राधिकृत किया जाना लंबित है, को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर उपयोग करने के लिए रखा गया है। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में पुनर्मुग्गतेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- ◆ **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- ◆ **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;


पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी0जी0ए0 द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य— शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि / विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4—अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2—अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3—अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप—शीर्ष (2—अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2—अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधि	विषय शीर्ष—वेतन, लघु कार्य, आदि (2—अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। 4—अंकीय मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया “वेतन” विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, “निर्माण” विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। विषय शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना



लोक ऋण एवं सार्वजनिक दायित्व

इस प्रतिवेदन में, ‘लोक ऋण’ को बाजार उधारी, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन०एस०एस०एफ०) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल करने के लिए लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, “सार्वजनिक दायित्व” में “लघु बचत, भविष्य निधि, आदि” से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है, लोक लेखा के अंतर्गत “आरक्षित निधि” और “जमा और अग्रिम” ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत “प्रेषण” और “उचंत” से संबंधित लेन–देन में कोषागारों एवं मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्किलों के बीच अंतरण जैसे लेनदेन को समायोजन शीर्षों में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, "सार्वजनिक दायित्व" को मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत "लघु बचत, भविष्य निधि, आदि", "आरक्षित निधि" और "जमा और अग्रिम" के साथ-साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करती है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में वर्णित है।

1.3.1 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

तालिका 1.2 वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2021–22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	घटक	2021–22 (वास्तविक)	2022–23		वास्तविक की बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक की जी०एस०डी०पी० से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
1	कर राजस्व	1,26,207.16	1,32,567.60	1,39,527.58	105.25	18.56
	(i) स्व कर राजस्व	34,854.54	41,387.00	44,017.73	106.36	5.86
	(ii) संघीय करों का अंश	91,352.62	91,180.60	95,509.85	104.75	12.71
2	करेतर राजस्व	3,984.34	6,135.62	4,134.90	67.39	0.55
3	सहायता अनुदान और अंशदान	28,605.83	58,001.29	29,025.54	50.04	3.86
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,58,797.33	1,96,704.51	1,72,688.02	87.79	22.98
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	27.92	431.55	41.49	9.61	0.01
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	-	-	-
7	उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	25,551.26	25,885.10	44,823.30	173.16	5.97
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	25,579.18	26,316.65	44,864.79	170.48	5.97
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,84,376.51	2,23,021.16	2,17,552.81	97.55	28.95
10	राजस्व व्यय (ब)	1,59,219.71	1,91,956.67	1,83,976.22	95.84	24.48
11	ब्याज भुगतान	13,821.93	16,305.03	15,183.54	93.12	2.02

क्रम सं०	घटक	2021–22 (वास्तविक)	2022–23		वास्तविक की बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक की जी०एस०टी०पी० से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
12	पूँजीगत व्यय	23,678.29	29,749.64	31,519.82	105.95	4.19
13	ऋण एवं अग्रिम	1,478.51	1,314.85	2,056.77	156.43	0.27
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,84,376.51	2,23,021.16	2,17,552.81	97.55	28.95
15	राजस्व आधिक्य / घाटा (4–10)	(-) 422.38	4,747.84	(-) 11,288.20	237.75	(-) 1.50
16	राजकोषीय घाटा {14–(4+5+6)}	25,551.26	25,885.10	44,823.30	173.16	5.97
17	प्राथमिक घाटा (16–11)	11,729.33	9,580.07	29,639.76	309.39	3.94

(स्रोत: 2021–22 तथा 2022–23 के वित्त लेखे एवं बजट का सारांश 2022–23)

₹1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(अ) उद्धार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष।

(ब) राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान व्यय शामिल है।

यह देखा गया कि:

- ◆ 2022–23 के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2021–22 के वास्तविक से 23.87 प्रतिशत अधिक था। इस बीच, बिहार सरकार ने अपने संशोधित अनुमान में राजस्व प्राप्तियों की मात्रा को मूल अनुमान का 2.20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। हालाँकि, वास्तविक प्राप्तियाँ मूल अनुमान से 12.21 प्रतिशत कम और संशोधित अनुमान से 14.10 प्रतिशत कम थीं, जो राजस्व प्राप्तियों का बढ़ा हुआ अनुमान दर्शाता है। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कुल मिलाकर नकारात्मक वृद्धि देखी गई यानि विगत वर्ष की तुलना में केवल 8.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- ◆ ‘कर राजस्व’ के अंतर्गत सेवा कर (88.74 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (69.55 प्रतिशत), सीमा शुल्क (44.59 प्रतिशत) में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का कम संग्रह देखा गया। इसके अलावा ‘करेत्तर राजस्व’ के तहत ब्याज प्राप्तियाँ (11.13 प्रतिशत), सड़कें और पुल (100.67 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (47.88 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (98.86 प्रतिशत), सार्वजनिक कार्य (21.89 प्रतिशत) और श्रम रोजगार और कौशल विकास (13.95 प्रतिशत) में विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का कम संग्रह देखा गया।
- ◆ हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों में सी०जी०एस०टी० (6.08 प्रतिशत), निगम कर (17.81 प्रतिशत), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (17.26 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (43.80 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (54.56 प्रतिशत) संग्रह में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 13,890.69 करोड़ की वृद्धि हुई।
- ◆ विगत वर्ष की तुलना में राज्य के राजस्व व्यय में 2022–23 के दौरान 15.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 में दर्ज की गई वृद्धि (14.14 प्रतिशत) की तुलना में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में

8.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि, राज्य का राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए, वर्ष 2022–23 के लिए राज्य सरकार को विगत वर्ष की तुलना में अधिक (19.38 प्रतिशत की वृद्धि) धनराशि उधार लेनी पड़ी। नीचे दी गई तालिका 1.3 प्राप्तियों और व्यय के बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2018-19	1,31,794	1,24,897	94.77	20,493	21,058	102.76
2019-20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020-21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,736	18,209	49.57
2021-22	1,58,798	1,59,220	100.27	40,473	23,678	58.50
2022-23	1,72,688	1,83,976	106.54	48,325	31,520	65.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दी गई तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि:

- ◆ राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के विरुद्ध राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹ 6.54 उधार लेना पड़ा।
- ◆ विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए किया गया, जो विगत चार वर्षों के दौरान सबसे अधिक है लेकिन वर्ष 2018-19 की तुलना में कम है। पूँजीगत प्राप्तियों के प्रत्येक ₹ 100 के लिए, पूँजीगत व्यय 2018-19 में ₹ 102.76 से गिरकर 2022-23 में ₹ 65.23 हो गया। हालाँकि, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 7,842 करोड़ की वृद्धि हुई।
- ◆ पूँजीगत प्राप्तियों में 19.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 25.72 गुणा और 75.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट 1.2 विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शोष शामिल हैं। सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ				परिसंपत्तियाँ					
	2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत में			2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत में	
समेकित निधि									
ए	आंतरिक ऋण	1,82,855.32	2,08,098.10	13.80	ए	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,59,366.21	2,90,886.03	12.15
बी	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	26,057.96	34,747.63	33.35	बी	ऋण एवं अग्रिम	23,194.36	25,209.64	8.69
आकस्मिकता निधि		350.00	350.00						
लोक लेखा									
ए	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,521.65	9,396.88	(-1.31)	ए	अग्रिम	249.96	249.96	0.00
बी	जमा	38,033.80	38,437.96	1.06	बी	प्रेषण	1,125.96	1,125.96	0.00
सी	आरक्षित निधि	6,781.61	9,654.72	42.37	सी	उचंत तथा विविध	15,616.59	14,416.78	(-7.68)
डी	उचंत तथा विविध शेष	207.48	171.31	(-17.43)	रोकड़ शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)		29,478.66	22,903.95	(-22.30)
ई	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00					
एफ	सरकारी लेखा पर अधिकाई	65,149.91	53,861.71	(-17.33)					
कुल		3,29,031.74	3,54,792.32	7.83	कुल	3,29,031.74	3,54,792.32	7.83	

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार की देनदारियों में 2022–23 के दौरान 7.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष में यह 10.03 प्रतिशत थी। 2022–23 के दौरान कुल बकाया देनदारियों में आंतरिक ऋण का योगदान 58.65 प्रतिशत रहा। आंतरिक ऋण पर देनदारियों में निवल वृद्धि विगत वर्ष के 14.60 प्रतिशत (₹ 23,297.82 करोड़) की तुलना में 13.80 प्रतिशत (₹ 25,242.78) करोड़ थी, जिसमें बाजार ऋण मुख्य योगदान कारक था।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे को उधार लेकर पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे और ऋण की अवधारणाएँ दोनों निकट रूप से संबंधित हैं। घाटे को एक प्रवाह के रूप में सोचा जा सकता है जो ऋण में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल–दर–साल उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को व्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये व्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करते हैं।

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2022 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे को कम करना और समग्र एवं बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक लाना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यावधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में, यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

1.4.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों और उपलब्धियों पर बी०एफ०आर०बी०एम० लक्ष्य

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2022–23 के लिए राज्य को ऋण का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 40.80 प्रतिशत तक बनाए रखना था। वित्त आयोग ने 2022–23 के दौरान जी०एस०डी०पी० के तीन प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त एक प्रतिशत उधार (4 प्रतिशत तक) लेने की अनुमति दी, जिसमें बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए सशर्त 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई। वर्ष 2022–23 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा में विगत वर्ष की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी आई थी।

राज्य सरकार ने बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय लक्ष्यों को संशोधित किया। इस संशोधन के माध्यम से, वर्ष 2022–23 के लिए राजकोषीय घाटे की लक्ष्य सीमा को जी०एस०डी०पी० के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया और भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जी०एस०डी०पी० के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई।

संबंधित बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम के तहत निर्धारित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन तालिका 1.5 (ए) में दिखाया गया है।

तालिका 1.5 (ए): बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (रु करोड़ में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (रु करोड़ में)	राजस्व अधिशेष	6,896.64	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-) 11,288.20
		✓	✗	✗	✗	✗
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (जी०एस०डी०पी० की प्रतिशतता के रूप में)	2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 4.5# प्रतिशत 2022–23 के लिए 4.00# प्रतिशत के भीतर।	(-) 13,806.76 (2.62)	(-) 14,723.93 (2.53)	(-) 29,827.25 (5.26)	(-) 25,551.26 (3.93)	(-) 44,823.30 (5.97)
कुल लंबित ऋण का जी०एस०डी०पी० से अनुपात (प्रतिशत में)	2020–21 तक के लिए 41.20 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 40.2 प्रतिशत, 2022–23 के लिए 40.8 प्रतिशत के भीतर।	31.99	33.24	40.05	39.60	39.03
		✗	✗	✓	✓	✓

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम)

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और शर्तों के साथ बिजली क्षेत्र के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने सहित

तालिका 1.5 (ए) में यह देखा जा सकता है कि

- ◆ राजस्व घाटा ₹ 11,288.20 करोड़ रहा, जो राजस्व अधिशेष के अनुमान से बहुत कम है। बजट अनुमान के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में कमी और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे के कारण थे।
- ◆ बकाया देनदारी का जी०एस०डी०पी० से अनुपात का लक्ष्य प्रदर्शवें वित्त आयोग की सिफारिशों के भीतर था।

बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से संशोधित राजकोषीय रोडमैप पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समान था। 2022–23 के दौरान जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में राज्य के बजट में अनुमानित राजकोषीय लक्ष्य और प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में उनकी उपलब्धियां तालिका 1.5 (बी) में दी गई हैं।

तालिका 1.5 (बी): वर्ष 2022–23 के लिए प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियाँ

राजकोषीय चर	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविकी	वास्तविकी की भिन्नता	
				पंद्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से	बजट में लक्ष्य से
राजस्व आधिक्य / जी०ए०डी०पी० (प्रतिशत)	0.8	0.64	(-) 1.50	(-) 2.3	(-) 2.14
राजकोषीय घाटा / जी०ए०डी०पी० (प्रतिशत)	4.0 [#]	3.47	5.97	(-) 1.97	(-) 2.5
कुल बकाया देनदारी / जी०ए०डी०पी० (प्रतिशत)	40.8	31.95	39.03	1.77	(-) 7.08

(स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश और बजट दस्तावेज)

नोट: घाटे का ऑकड़ा माइनस में दिखाया गया है, [#]0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी सहित

वर्ष 2022–23 के दौरान, सरकार राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा—जी०ए०डी०पी० अनुपात को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि, कुल बकाया देयता—जी०ए०डी०पी० का अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग और बी०ए०आ०बी०ए० (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा।

वित्त लेखे के अनुसार, कुल बकाया देनदारियों का जी०ए०डी०पी० से अनुपात 39.03 प्रतिशत है। हालांकि, गैर-बजट उधारी के रूप में प्राप्त ₹ 686.77 करोड़ को शामिल करने के बाद प्रभावी अनुपात (39.13 प्रतिशत) पर आ गया।

1.4.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम०टी०ए०फ०पी०) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना, वर्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविकी के साथ, तालिका 1.6 में दी गई है:

तालिका 1.6: 2022–23 के लिए एम०टी०ए०फ०पी० में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय चर	एम०टी०ए०फ०पी० में अनुमानित	वास्तविकी (2022–23)	अंतर (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	41,387.00	44,017.73	6.36
2	करेतर राजस्व	6,135.62	4,134.90	(-) 32.61
3	संघीय कर का अंश	91,180.60	95,509.85	4.75
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	58,001.29	29,025.54	(-) 49.96
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,96,704.51	1,72,688.02	(-) 12.21
6	राजस्व व्यय	1,91,956.67	1,83,976.22	(-) 4.16
7	राजस्व घाटा (–) / अधिशेष (+) (5–6)	4,747.84	(-) 11,288.20	137.75
8	राजकोषीय घाटा (–) / अधिशेष (+)	(-) 25,885.10	(-) 44,823.30	73.16
9	राजकोषीय घाटा का जी०ए०डी०पी० से प्रतिशतता	3.47	5.97	72.04
10	देयता—जी०ए०डी०पी० अनुपात (प्रतिशत)	38.66	39.03	0.37
11	वर्तमान मूल्यों पर जी०ए०डी०पी० वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.70	15.55	5.85

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे और बी०ए०आ०बी०ए० अधिनियम)


तालिका 1.6 से यह देखा जा सकता है कि:

- ◆ वर्ष 2022–23 के दौरान, एम0टी0एफ0पी0 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका सिवाय स्व-कर राजस्व और “केंद्रीय करों के हिस्से” को जो अनुमानित से क्रमशः 6.36 प्रतिशत और 4.75 प्रतिशत बढ़ गया। राज्य सरकार विगत वर्षों (2019–20, 2020–21 और 2021–22) में भी अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। बिहार सरकार ने ₹ 11,288.20 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया है जो एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। विगत वर्ष की तुलना में इसमें 25.72 गुना की वृद्धि हुई है। 2018–19 में ₹ 6,897 करोड़ का राजस्व अधिशेष, 2022–23 में घटकर (–) ₹ 11,288.20 करोड़ (163.67 प्रतिशत) हो गया, जैसा कि चार्ट 1.6 में दिखाया गया है। राजस्व घाटे का मुख्य कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति (49.96 प्रतिशत) और गैर-कर राजस्व का अनुमान से कम संग्रह (32.61 प्रतिशत) था।

1.4.3 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात् (i) राजस्व अधिशेष/घाटा¹, (ii) राजकोषीय घाटा² और (iii) प्राथमिक घाटा³, सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं। इनकी गणना इस प्रकार से की जानी है कि वे सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायक हो। राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्ति चार्ट 1.6 में दिखाई गई है।

चार्ट 1.6: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि उपरोक्त चार्ट 1.6 से देखा जा सकता है, सभी राजकोषीय संकेतकों/मापदंडों ने कुल मिलाकर नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है और विगत वर्ष की तुलना में और अधिक नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है।


¹ राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है।

² राज्य की कुल उधारी अर्थात् उसके कुल संसाधन अंतर को दर्शाता करता है।

³ प्राथमिक व्यय (शुद्ध व्याज भुगतान का कुल व्यय) की अधिकता को दर्शाता है।

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष घाटे के मापदंडों की प्रवृत्ति चार्ट 1.7 में देखी जा सकती है।

चार्ट 1.7: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष घाटे के मापदंडों की प्रवृत्ति




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एमओ0एस0पी0आई0)

जैसा कि चार्ट 1.7 से देखा जा सकता है, वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व अधिशेष को छोड़कर सभी तीनों घाटा/अधिशेष मापदंड में नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही हैं। वर्ष 2022-23 के लिए सभी तीनों मापदंडों में पिछले पांच वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 के संबंध में उच्चतम नकारात्मक प्रतिशत दर्ज किया गया।

1.4.4 वित्तीय देनदारियाँ और जी0एस0डी0पी0

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देनदारियों और इसके घटकों की प्रवृत्ति को चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.8: राजकोषीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022-23 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.80 प्रतिशत (₹ 25.24 हजार करोड़) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 33.35 प्रतिशत (₹ 8.69 हजार करोड़) की वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय देनदारियाँ 13.90 प्रतिशत (₹ 35.80 हजार करोड़) बढ़ गईं। हालाँकि

आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि देखी गई, लेकिन 2021–22 की वृद्धि दर की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर, वर्ष 2018–19 से राजकोषीय देनदारी में 73.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बढ़ते राजस्व घाटे के कारण राज्य पर और अधिक उधार लेने का दबाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप साल दर साल देनदारी बढ़ती जा रही है। राज्य के स्व राजस्व के स्रोतों/नए स्रोतों की खोज करके इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

1.4.5 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 (3) अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करता है कि कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि राज्य को केंद्र सरकार या संघ द्वारा दिया गया ऋण का कोई हिस्सा या गारंटी अभी भी बकाया है।

हालाँकि, बिहार में, बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 में तैयार किया गया जिसमें ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात 38.66 प्रतिशत था, जबकि जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राज्य का सांकेतिक ऋण पथ पद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 40.80 प्रतिशत दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा (एन0बी0सी0) जी0एस0डी0पी0 का 3.5 प्रतिशत (एन0एस0ओ0 द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और पद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के आधार पर) निर्धारित की गई थी। 3.5 प्रतिशत के एन0बी0सी0 के अलावा, राज्य बिजली क्षेत्र में अपने अच्छे प्रदर्शन से जी0एस0डी0पी0 के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार लेने के लिए भी पात्र था। इस प्रकार, राज्य की उधार सीमा ₹ 30,056 करोड़ (राज्य की अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का चार प्रतिशत) के भीतर होनी थी, जिसमें ₹ 3,757 करोड़ (अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का 0.5 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा शामिल थी।

हालाँकि, वित्त लेखे 2022–23 की विवरणी 6, अर्थात् उधार और अन्य देनदारियों की विवरणी, के अनुसार वृद्धिशील उधार और राज्य सरकार की अन्य देनदारियाँ वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 35,796.96 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 4.76 प्रतिशत) जो ₹ 30,056 करोड़ (₹ 7,51,396 करोड़ के जी0एस0डी0पी0 का चार प्रतिशत) की उधार सीमा से अधिक था। राज्य ने 39.03 प्रतिशत (बकाया कुल देनदारी 2022–23/जी0एस0डी0पी0 2022–23) हासिल किया जो वित्त आयोग की सीमा के भीतर था लेकिन बी0एफ0आर0बी0एम0 सीमा से काफी पीछे था।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटा/बकाया देनदारियाँ

राजस्व खंड के कुछ वित्तीय लेन–देन को व्यय के पूँजी खंड के तहत या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्ज किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीष के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित खंड ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, प्रतिबद्ध देनदारियों को स्थगित करना, जैसे समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि, भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आकलन पर ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव तालिका 1.7 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरणी	राजस्व घाटे पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	कंडिका संदर्भ
	(कम बताया गया (+))	(कम बताया गया (-))	
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	
राजस्व के बजाय पूँजी खण्ड के तहत गलत वर्गीकरण	0.42	-	2.5.3.6
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा पर ब्याज का भुगतान न होना	18.98	18.98	4.2
एन०पी०एस० में नियोक्ता का कम योगदान	46.44	46.44	2.5.2.3
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर का अंतरण न होना	12.04	12.04	2.6.2.5
अन्य उपकर (सड़क सुरक्षा उपकर) का अंतरण न होना	159.13	159.13	2.6.2.5
एन०डी०आर०एफ० अनुदान को लोक लेखे में अंतरित नहीं करना	148.70	148.70	2.6.2.3
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न होना	19.48	19.48	4.2
गैर-बजट उधारी का प्रकटीकरण	-	686.77	4.1
कुल	405.19	1091.54	

(स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

2022–23 के दौरान, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, क्रमशः ₹ 11,288.20 करोड़ और ₹ 44,823.30 करोड़ दिखाया गया है, यदि उपरोक्त लेनदेन को ध्यान में रखा जाए, तो यह क्रमशः ₹ 11,693.39 करोड़ और ₹ 45,914.84 करोड़ होगा। लेखापरीक्षा के बाद राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः जी०एस०डी०पी० का 1.56 प्रतिशत और 6.11 प्रतिशत था, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद—कुल बकाया देनदारियाँ

सरकारी संस्था (एक⁴) ने राज्य सरकार को पक्ष बनाकर (31 मार्च 2023 तक) ₹ 686.77 करोड़ की राशि का ऋण प्राप्त किया है। यह ऋण राज्य सरकार द्वारा गैर-बजट उधारी (ओ०बी०पी०) का उदाहरण है। सरकार ने इस ऋण के लिए गारंटी प्रदान की है। चूँकि ये उधारी सीधे सरकार की उधारियों का हिस्सा नहीं थीं, इसलिए इसे वित्त खाते के लोक ऋण में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, राज्य के राजकोषीय घाटे की गणना में इनका उल्लेख नहीं किया गया। राज्य का लोक ऋण और राजकोषीय घाटा वर्ष 2022–23 के लिए कम करके आंका गया है। (गैर-बजट उधारी का विवरण इस प्रतिवेदन की कंडिका 4.1 में दिया गया है)।

गैर-बजट उधारी की यह जानकारी संबंधित इकाई (एस०पी०एस०ई०) द्वारा प्रदान की गई है। हालाँकि, इस संबंध में राज्य सरकार का उत्तर (दिसंबर 2023) प्रतीक्षित था।

⁴ बिहार राज्य सड़क विकास निगम।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद 2021–22 और 2022–23 की अवधि के लिए घटक–वार बकाया ऋण / देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	राशि		विचलन (प्रतिशत में)
	2021-22	2022-23	
आंतरिक ऋण (ए)	1,82,855.32	2,08,098.10	13.80
बाजार ऋण	1,56,575.11	1,84,275.11	17.69
बॉड	2,195.25	1,962.07	(-) 10.62
वित्तीय संस्थान से ऋण	10,111.91	9,776.22	(-) 3.32
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	13,965.60	12,077.25	(-) 13.52
अन्य ऋण	7.45	7.45	0.00
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (बी)	26,057.96	34,747.63	33.35
गैर-योजना ऋण	0.58	0.58	0.00
राज्य परियोजना योजना के लिए ऋण	191.29	191.29	0.00
केंद्रीय परियोजना योजनाओं के लिए ऋण	1.01	1.01	0.00
केंद्र प्रायोजित परियोजना के लिए ऋण	0.53	0.53	0.00
अर्थोपाय अग्रिम	42.96	42.96	0.00
1984–85 से पहले के ऋण	3.91	3.91	0.00
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए ऋण	36.42	33.10	(-) 9.12
विधानमंडल योजनाओं के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य ऋण	25,781.26	34,474.25	33.72
लोक लेखा पर देनदारियाँ (सी)	48,596.93	50,461.44	3.84
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,521.65	9,396.88	(-) 1.31
ब्याज सहित आरक्षित निधि	1,041.49	2,626.60	152.20
ब्याज सहित जमा	217.11	257.63	18.66
ब्याज रहित जमा	37,816.68	38,180.33	0.96
कुल (डी) = (ए+बी+सी)	2,57,510.21	2,93,307.17	13.90
समग्र दायित्व पर प्रभाव (कम करके बताया गया) (ई)	1,482.50	686.77	(-) 53.67
बिहार राज्य सङ्कर विकास निगम लिमिटेड (पथ निर्माण विभाग)	520.00	686.77	32.07
बिहार ग्रामीण सङ्कर विकास एजेंसी (ग्रामीण कार्य विभाग)	962.50	0.00	
कुल योग (डी)+(ई)	2,58,992.71	2,93,993.94	13.51

(आगे: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की गैर बजट उधारी को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2023 के अंत में कुल बकाया ऋण ₹ 2,93,307.17 करोड़ के मुकाबले ₹ 2,93,993.94 करोड़ (क्रमशः जी०ए०डी०पी० का 39.03 प्रतिशत और 39.13 प्रतिशत) हो गया था। वर्ष के अंत में जी०ए०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण 0.10 प्रतिशत कम बताया गया, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश में निर्धारित लक्ष्य के भीतर था।